

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
कार्यालय आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० सं० 24295/2006 दिनांक 16.05.2007 तथा सिविल अपील सं० 887/2009 दिनांक 08.05.2009 में पारित आदेश एवं अभातशिप की अधिसूचना सं० F.No. 37-3/Legal/AICTE/2009 Dated 01.07.2009 में निहित दिशा-निदेश के आलोक में अभियंत्रण/पोलिटैकनिक संस्थानों में रैगिंग के निषेध एवं उन्मूलन हेतु निम्नवत रूप से रैगिंग अनुश्रवण कोषांग गठित की जाती है:-

1. डा० नित्यानंद प्रसाद, सहायक निदेशक (वि०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार
2. श्री रमाशंकर सिंह, उप निदेशक (त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार
3. श्री सन्नी कुमार, लिपिक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार

उक्त समिति संस्थान से समन्वय स्थापित कर संस्थान द्वारा रैगिंग के निषेध हेतु संस्थान से प्रतिवेदन प्राप्त कर संस्थान स्तर पर कृत कारवाई का अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी ।


ह०/-

निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : वि.प्रा.(II)वर्. 01/2014

945 पटना/दिनांक : 31-3-016

प्रतिलिपि : सभी राजकीय एवं निजी अभियंत्रण/पोलिटैकनिक के प्राचार्य/संबंधित विभागीय पदाधिकारियों/प्रशाखा पदाधिकारियों/संबंधित सहायक/आई.टी.मैनेजर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग


31/3/16